राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

फोन नं. : 0141-2227938, 2227947 फैक्स नं. : 0141-2227360, 2227761

ई–मेल: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com

रजिस्टर्ड ऑफिस : C-89-90, जनपथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई–निविदा संख्याः एफ.6(1)43 / CC / 2022 / 90 दिनांकः 18.01.2023

गिरल लिग्नाईट परियोजना, बाड़मेर के लिये तीन (03) बोलेरो वाहन–07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट)वाहन चालक सहित किराये पर लेने हेतु ई–निविदा प्रपत्र

Period of online availability of TD	From 18.01.2023 to 30.01.2023 upto 3:00 P.M.
Last date and time of uploading the documents and submission of bid online.	30.01.2023 upto 3:30 P.M.
Last date of physical deposition of EMD, Cost of TD, Processing fees and requisite original Documents/Affidavits etc. with duly filled TD.	31.01.2023 upto 3:00 P.M.
Online opening of Bid (Part-I).	On 01.02.2023 at 11:00 A.M.
Cost of Tender Document	Rs.4720/- (including GST) Non-Transferable & Non-Refundable

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

फोन नं. : 0141-2227938, 2227947 फैक्स नं. : 0141-2227360, 2227761

ई–मेल: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com

रजिस्टर्ड ऑफिस : C-89-90, जनपथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई–निविदा संख्याः F.6(1)43/CC/2022/90 **दिनांक : 18.01.2023**

कार्य का विवरण	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय, भरने व प्रस्तुत करने की तिथि	बयाना राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि एवं न्यूनतम मासिक परिचालन एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि
गिरल लिग्नाईट परियोजना, बाड़मेर (पिन कोडः 344701) पर तीन (03) बोलेरो – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक किराये पर लेने हेतु । **टैक्सीयों का मॉडल वर्ष 2021 या उसके बाद का होना आवश्यक है ।**	18.01.2023 से 30.01.2023 सांय 3:00 बजे तक विक्रय एवं ई–निविदा ऑनलाईन भरने की अन्तिम तिथि 30.01.2023 सांय 3:30 बजे तक एवं भौतिक रूप से ई–निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.01.2023 सांय 3:00 बजे तक	बयाना राशि– रूपये 120000/– निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 4720/– मू.सं. कर (अप्रतिदेय)	**3 वर्ष** तीन बोलेरो – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (टैक्सी परमिट) कुल 12,000 कि.मी. प्रतिमाह **रूपये 60 लाख**
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 01.02.2023 प्रातः 11:00 बजे		
सम्पर्क अधिकारी – प्रबन्धक ((यांत्रिकी –अनुबन्ध)	दूरभाष–(0141) 2227627, 9358833574 E-Mail: rsmmljpr@bsnl.in		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्तें website- www.rsmm.com, sppp.raj.nic.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं ।			

प्रबन्धक (यांत्रिकी–अनुबन्ध)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

फोन नं. : 0141-2227938, 2227947 फैक्स नं. : 0141-2227360, 2227761

ई–मेल: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com

रजिस्टर्ड ऑफिस : C-89-90, जनपथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

विस्तृत ई–निविदा सूचना

ई–निविदा संख्याः **F.6(1)43/CC/2022/90** **दिनांक : 18.01.2023**

अनुभवी एवं सक्षम ठेकेदारों से ई–निविदायें दो भागों (अ) तकनीकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव (ब) दर प्रस्ताव, में आमन्त्रित की जाती है । कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य का विवरण	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय, भरने व प्रस्तुत करने की तिथि	बयाना राशि एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य	**कार्य अवधि एवं न्यूनतम मासिक परिचालन एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि**
प्राधिकृत व्यक्तियों को खान निरीक्षण कार्य एवं पारीयों के कर्मचारियों को लाने एवं ले जाने हेतु गिरल लिग्नाईट परियोजना, बाड़मेर (पिन कोडः 344701) पर तीन (03) बोलेरो – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए. सी. डीजल टैक्सी परमिट) मय वाहन चालक किराये पर लेने हेतु । **टैक्सीयों का मॉडल वर्ष 2021 या उसके बाद का होना आवश्यक है ।**	18.01.2023 से 30.01.2023 सांय 3:00 बजे तक विक्रय एवं ई–निविदा ऑनलाईन भरने की अन्तिम तिथि 30.01.2023 सांय 3:30 बजे तक एवं भौतिक रूप से ई–निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.01.2023 सांय 3:00 बजे तक	बयाना राशि– रूपये 120000/– निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 4720/– मू.सं. कर (अप्रतिदेय)	**3 वर्ष** तीन (03) बोलेरो – 07 सीटर या समकक्ष वाहन (टैक्सी परमिट) कुल 12,000 कि.मी. प्रतिमाह **रूपये 60.00 लाख**
सम्पर्क अधिकारी – प्रबन्धक ((यांत्रिकी –अनुबन्ध)	दूरभाष–(0141) 2227627, 9358833574		E-Mail: rsmmljpr@bsnl.in
विस्तृत ई–निविदा सूचना तथा अन्य शर्ते Website - www.rsmm.com, sppp.raj.nic.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।			

ई–निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी ई–निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है । इस हेतु कार्यालय समयावधि में किसी भी कार्य दिवस को प्रबन्धक (पीएण्डए–अनुबन्ध) से भी सम्पर्क किया जा सकता है ।

ई–निविदाकर्ता अपनी निविदा **दिनांक 31.01.2023** को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में **सांय 3:00 बजे** तक प्रस्तुत करेगा तथा निश्चित समय एवं तिथि पर उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ई–निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव) खोला जाएगा, तथा सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाकर ऐसे सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) बाद में खोला जाएगा उसकी सूचना सफल निविदाकर्ताओ को भिजवायी जावेगी ।

बयाना राशि रूपये 120,000/– (रूपये एक ळाख बीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट /ई–पेमेन्ट द्वारा जो कि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, जयपुर के नाम से देय हो ई–निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी ।

नोट–1: जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस टैण्डर में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगें ।

नोट–2: निविदा में संशोधन/शुद्धिपत्र केवल आर.एस.एम.एम.एल. की वेबसाईट एवं sppp.rajasthan.nic.in पर ही प्रकाशित किये जायेंगे; इस हेतु निविदाकर्ता उक्त वेबसाईट्स देखते रहें ।

पात्रता – क्लॉज संख्या 3.0 अनुसार ।

प्रबन्धक (यांत्रिकी–अनुबन्ध)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

फोन नं. : 0141-2227938, 2227947 फैक्स नं. : 0141-2227360, 2227761

ई–मेल: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com

रजिस्टर्ड ऑफिस : C-89-90, जनपथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई–निविदा संख्या– **F.6(1)43/CC/2022/90** **दिनांक : 18.01.2023**

ई–निविदा प्रपत्र

1.0 **गिरल लिग्नाईट परियोजना, बाड़मेर पर तीन (03) बोलेरो 7 सीटर या समकक्ष वाहन डीजल टैक्सी मय वाहन चालक एवं वाणिज्यिक परमिट सहित किराये पर लेने बाबत :**

गिरल लिग्नाईट खदान, बाड़मेर–जैसलमेर–आकली सड़क पर बाड़मेर से लगभग 43 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । खान क्षेत्र में कच्ची एवं पक्की सड़क है व कम्पनी द्वारा इसका रख–रखाव किया जाता है । निविदाकर्ता निविदा भरने से पूर्व इनकी स्थिति अच्छी तरह देख लें ।

2.0 **वाहन एवं उनका कार्य क्षेत्र :**

2.1 एक (01) बोलेरो या समकक्ष वाहन जो कि 24 घंटे खदान क्षेत्र में रहेगा जो कि खदान क्षेत्र में अधिकारियों / कर्मचारियों के निरिक्षण तथा परिवहन के लिये उपयोग में लिया जायेगा ।

2.2 एक (01) बोलेरो या समकक्ष वाहन जो खान प्रबन्धक तथा जनरल शिफ्ट के अधिकारियों के परिवहन के उपयोग के लिये किया जायेगा, जिसमें अधिकारियों को बाड़मेर से खदान ले जाने तथा पुनः बाड़मेर लाने के लिये उपयोग किया जायेगा । इस वाहन की कार्य अवधि 12 घंटे रहेगी ।

2.3 एक (01) बोलेरो या समकक्ष वाहन जो कि बाड़मेर कार्यालय में इकाई प्रमुख द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा एवं बाड़मेर कार्यालय के अन्य कार्यों के सम्पादन के लिये वाहन को उपयोग में लिया जायेगा। इकाई प्रमुख द्वारा इस वाहन का उपयोग गिरल एवं सोनरी खदानों के निरीक्षण हेतु भी उपयोग किया जायेगा । इस वाहन की कार्य अवधि 12 घंटे रहेगी एवं इकाई प्रमुख के निर्देशानुसार रहेगी।

2.4 <u>उपरोक्त तीनों वाहनों के 12,000 किलोमीटर संयुक्त रूप से रहेंगे</u> जिसमें वाहन को बाड़मेर कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार इकाई प्रमुख, बाड़मेर के निर्देशानुसार गिरल एवं सोनड़ी खदान अथवा कम्पनी के कार्य से कहीं भी जैसे बाड़मेर अथवा बाड़मेर से बाहर उपयोग में लिया जा सकता है ।

2.5 जो वाहन विभिन्न पारियों तथा पारी को बाड़मेर लाने के पश्चात बाड़मेर कार्यालय को रिपोर्ट करेगा उसके तथा जो वाहन 24 घंटे के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा (खदान क्षेत्र के लिये तथा पारी में कार्मिकों को लाने एवं ले जाने के लिये), उन वाहनों के चालकों की संख्या नियमानुसार रहेगी ताकि वाहन का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके । प्रत्येक वाहन की प्रत्येक पारी की लॉगबुक वाहन चालक के द्वारा भरकर उसमें पारी प्रभारी / नियंत्रण अधिकारी से पारी की समाप्ति के समय हस्ताक्षर करवाने अनिवार्य होंगे ।

3.0 **पात्रता :**

3.1 निविदा प्रपत्र में संलग्न परिशिष्ठ–'स' के अनुसार निविदाकर्ता को 50/– रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिये । उक्त शपथ पत्र को निविदा के प्रथम भाग के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, इस शपथ पत्र के प्रस्तुत न करने की अवस्था में निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को खोलने योग्य नहीं माना जावेगा ।

3.2 निविदाकर्ता के पास कम से कम रुपये 15,00,000/– का कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम से होना आवश्यक है। टर्न ओवर के पक्ष में चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (बेलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है।

4.0 **वाहनों का स्वामित्व :**

4.1 कम्पनी को उपरोक्तानुसार वाहन की नियमित आवश्यकता है । अतः निविदाकर्ता के स्वयं/फर्म के किसी एक या अधिक साझीदार के नाम पर वाहन का पंजीकृत होना आवश्यक है । वाहन वर्ष 2021 या उसके बाद के मॉडल का होना चाहिए ।

4.2 उपरोक्त क्लाज के अनुसार स्वयं का वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निविदाकर्ता को एक शपथपत्र "परिशिष्ट–स" देना होगा कि उसके पक्ष में कार्य स्वीकृत होने पर वह कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर उक्त वाहन उपलब्ध करवा देगा तथा क्लाज 11.1 के अनुसार प्रस्तावित वाहन सम्बन्धित सभी विवरण इस कार्यालय को सूचित करेगा, अन्यथा कम्पनी को उसकी बयाना राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।

4.3 निविदाकर्ता, वाहन का स्वामित्व कार्यावधि के दौरान किसी भी अवस्था में लीज–डीड/पॉवर आफ अटोर्नी/ट्रान्सफर डीड अथवा अन्य माध्यम के जरिये किसी अन्य व्यक्ति/संस्था इत्यादि को हस्तान्तरण नहीं करेगा । ऐसा करने पर प्रबन्धन को अनुबन्ध समाप्त करने का व धरोहर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

5.0 **संविदा प्रस्ताव (दरों) की मान्यता :**

निविदा का प्रस्ताव (दरें) निविदा खोलने की तिथि से एक सौ बीस (120) दिन तक मान्य होंगे ।

6.0 **कार्य अवधि :**

6.1 कार्य की अवधि कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से तीन (03) वर्ष होगी ।

6.2 कम्पनी द्वारा इस अवधि को आगे RTPP Act, 2012 के अनुसार समान शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है जिसका अधिकार आर.एस.एम.एम.एल. के पास होगा ।

7.0 **बयाना राशि :**

7.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ **रूपये 120000/– (रूपये एक ळाख बीस हजार मात्र)** का डिमाण्ड ड्राफ्ट बयाना राशि के रूप में, जो कि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, जयपुर के नाम से देय हो संलग्न करना आवश्यक है ।

7.2 उपरोक्त के अलावा निविदाकर्ता द्वारा ई–पेमेन्ट द्वारा बयाना राशि का भुगतान भी किया जा सकता है जिसके लिये आरएसएमएम लिमिटेड के बैंक खाते इत्यादि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Name of beneficiary	RSMM LTD., JAIPUR	RSMM LTD., JAIPUR	RSMM LTD., JAIPUR
Name of Bank	**Axis Bank**	**ICICI Bank**	**HDFC Bank**
Bank Location	Malviya Nagar, Jaipur	Khanij Bhawan, Tilak Marg,Jaipur	Aditya Tower, New Sanganer Road, Jaipur
Type of Account	C.D.	C.D.	C.D.
C.D. Account No.	**910020036634989**	**678605000722**	**18437630000803**
IFSC Code	**UTIB 0000626**	**ICIC 0006786**	**HDFC 0001843**

निविदाकर्ता को उपरोक्त बयाना राशि अन्तिम तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा एवं इस हेतु बैंक के संबंधित रेफरेन्स आईडी नम्बर की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा ।

7.3 बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे ।

7.4 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7.5 असफल निविदाकर्ता की बयाना राशि सफल निविदाकर्ता को कार्य का आदेश दिये जाने एवं उसके द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात लौटा दी जाएगी ।

7.6 सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि को धरोहर राशि में समायोजित किया जा सकेगा ।

7.7 अगर सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी करने के पश्चात् निश्चित समय में कार्यारम्भ नहीं करता है तो बयाना या अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाएगी व कार्यादेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा । ऐसे संविदाकार भविष्य में कम्पनी की किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेगें ।

7.8 निविदाकर्ता द्वारा जमा बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती है :–

i) यदि निविदाकर्ता निविदा देने के पश्चात वैद्यता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।

ii) यदि निविदाकर्ता जारी कार्य आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है ।

iii) यदि निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर वाछित धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है ।

iv) यदि निविदाकर्ता प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध सम्पादित नहीं करता है ।

v) यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकर्ता ने गलत सूचना व जाली दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये है ।

vi) यदि कार्य आदेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नही किया जाता है।

8.0 धरोहर राशि :

8.1 धरोहर राशि कुल संविदा राशि (contract amount) की दस (10%) प्रतिशत है, परन्तु वित्त विभाग, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.01.2022 के तहत राशि दर दिनांक 31.03.2023 तक कुल निविदा कार्य की तीन (3%) प्रतिशत होगी। यदि राज्य सरकार द्वारा इन दरों में परिवर्तन किया जाता है या उपरोक्त वर्णित दिनांक 31.03.2023 को आगे नही बढाया जाता है, ऐसी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा प्रतिभूति राशि के अन्तर की राशि सात (7%) प्रतिशत कम्पनी द्वारा मांग की जाने के तीस (30) दिवस में जमा करवानी होगी। निविदाकार की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जायेगा। बयाना राशि समायोजन करने के पश्चात् पचास (50%) प्रतिशत प्रतिभूति राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कार्यादेश/सहमति

पत्र/एल.ओ.ए. जारी करने के पन्द्रह (15) दिन के अन्दर जमा करवानी आवश्यक होगी एवं शेष पचास (50%) प्रतिशत राशि की कटोती प्रतिमाह के बिलों में से की जायेगी।

8.2 बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी.डी./ई–पेमेन्ट/बैंक गारण्टी (जिसका प्रारूप 'परिशिष्ठ–श' पर संलग्न है, बैंक गारण्टी आई.सी.आई.सी.आई./एच.डी.एफ.सी./एक्सिस बैंक जिनकी शाखा जयपुर में स्थित होनी चाहिये) के द्वारा कार्य आदेश/सहमति पत्र देने के तीस (30) दिन के अन्दर जमा करानी होगी। बैंक गारण्टी अनुबन्ध के समापन तक प्रभावी होनी चाहिये ।

8.3 अगर निविदाकर्ता कार्य करने में विफल रहता है तो कम्पनी अपने विवेक से धरोहर राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी ।

8.4 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि संविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा उसके कारण कम्पनी को किसी प्रकार की हानि होने पर धरोहर राशि में से हानि की निर्धारित रकम काट कर भरपायी कर ली जायेगी । ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप धरोहर राशि में कोई कमी रहती है तो उसकी पूर्ति संविदाकर्ता के मासिक बिलों में से की जा सकेगी ।

8.5 धरोहर राशि संविदा के समाप्त होने के सामान्यतः छह (6) माह के पश्चात लौटा दी जाएगी, बशर्ते कि संविदाकार ने सभी प्रकार की कटौतियाँ, श्रमिकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया हो एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया हो ।

8.6 धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

9.0 ई–निविदा प्रपत्र को भरना :

9.1 निविदाकर्ता को स्थान, मार्ग के कच्चे/पक्के, दूरी आदि के बारे में संविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वंय को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना होगा, ताकि कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ/संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे । निविदा में निविदाकर्ता द्वारा लिखी गई किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं होगी एवं ऐसी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा भरी गयी निविदा को निरस्त भी किया जा सकता है ।

9.2 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

9.3 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र की शर्तों की स्वीकृति हेतु **प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद मय सील के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है ।**

9.4 ई–निविदा प्रक्रिया द्वारा दर प्रस्ताव का तुलनात्मक विवरण केवल संदर्भ के लिए ही होगा । निविदा हेतु प्राप्त दर प्रस्तावों का तुलनात्मक मूल्यांकन कम्पनी द्वारा ही किया जायेगा ।

10.0 ई–निविदा प्रक्रिया :

10.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर ईलैक्ट्रोनिक माध्यम से ऑन–लाईन ही प्रस्तुत कर सकते हैं । अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

10.2 निविदाकर्ता इस विषय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

10.3 इच्छुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई–निविदा पोर्टल पर पंजिकृत कराना आवश्यक होगा तथा **तत्पश्चात्** ही ई–निविदा को ऑन–लाईन भरने के लिए पात्र होगा।

10.4 इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई–निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार के आई.टी. एक्ट–2000 के प्रावधानों के तहत **डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है** एवं ई–निविदा के सभी दस्तावेज आदि निविदाकर्ता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे । जिसके बगैर उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी ।

10.5 डाउनलोड किये गये ई–निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थिति में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा ।

10.6 निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउन–लोड किया जावेगा ।

10.7 निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किये जाना आवश्यक है । तत्पश्चात् उपरोक्त समस्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र को डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करना है।

10.8 अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र ही निविदा प्रस्तुतिकरण के लिये मान्य होगा बशर्ते की निविदाकर्ता ने अपेक्षित ई–निविदा प्रपत्र शुल्क (आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के नाम देय) तथा ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क (एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय) एवं निर्धारित बयाना राशि (आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के नाम देय) जमा कराई है।

10.9 ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिये रूपये 500/– (रूपये पाँच सौ मात्र) निर्धारित है जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी./बी.सी. के जरिये जयपुर में देय होगी । निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 4720/– का तथा निर्धारित **बयाना राशि रूपये 120000/–** जोकि ई–पेमेन्ट/डी.डी./बी.सी. जोकि आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के पक्ष में देय है ।

10.10 उपरोक्त तीनों शुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पात्रता के अनुसार तीनों वांछित मूल शपथ पत्र को प्रबन्धक ((यांत्रिकी –अनुबन्ध), एसबीयू एवं पीसी – लिग्नाईट को नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व प्रेषित/प्रस्तुत करेगा । इन प्रपत्रों के ऊपर निविदाकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ–साफ अक्षरों में अंकित करेगा । निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

10.11 उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा बयाना राशि की स्केन कॉपी को भी अपने ई–निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवश्यक है । उपरोक्त तीनों शुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्केन कॉपी अपलोड न करने पर ई–निविदा मान्य नहीं होगी ।

10.12 निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्धारित डी.डी./जमा राशि के विवरण आदि ई–निविदा भरते समय ई–निविदा पोर्टल में भी इन्द्राज करना होगा ।

10.13 उपरोक्त विवरण इन्द्राज करने के पश्चात् निविदाकर्ता को उक्त राशियों के मूल डी.डी./बी.सी. /ई–पेमेन्ट जमा के बाबत् रेफरेन्स आई.डी., प्रबन्धक(पीएण्डए–अनुबन्ध), एसबीयू एवं पीसी–लिग्नाईट, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के कार्यालय में निविदा के निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा कराना आवश्यक है अन्यथा निविदा प्रपत्र को निरस्त माना जावेगा ।

11.0 **ई–निविदा प्रपत्र दो भागों में भरा जायेगा, जोकि निम्न प्रकार से हैं :–**

प्रथम भाग	–	तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part)
द्वितीय भाग	–	कार्य की दरें (Rate Part / BOQ)

11.1 **प्रथम भाग : तकनीकी वाणिज्यिक** (Techno-commercial Part):-

i) निविदाकर्ताओं को परिशिष्ठ–(ब) के अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत करना हैः–

(अ) वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई–पेमेन्ट द्वारा किये गये भुगतान का विवरण ।

(ब) नाम, पता, ई–मेल, टेलिफोन नं0, मोबाइल नं., फैक्स नं0 इत्यादि की जानकारी ।

(स) फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) की सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति ।

(द) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति ।

(य) पेन कार्ड नम्बर की प्रमाणित फोटो प्रति ।

ii) वाहनों पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी परिशिष्ठ–(अ) में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

iii) निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्तें नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग परिशिष्ठ–(द) के अनुसार देनी होगी ।

iv) स्वयं के स्वामित्व वाली 2021 या उसके बाद के मॉडल वाली तीन (03) बोलेरो (07–सीटर, या समकक्ष वाहन एसी, डीजल टैक्सी वाणिज्यिक परमिट) के रजिस्ट्रेशन की सत्यापित फोटो प्रति या प्रपत्र (परिशिष्ठ–स) के अनुसार रूपये 50/– के स्टाम्प पर शपथपत्र ।

v) कम्पनी में लगाई जाने वाली बोलेरो या समकक्ष वाहन टैक्सियों की अन्दर से तथा बाहर से लिए गए फोटो चित्र । (कार्यादेश पूर्व)

vi) वाहनों के कम्प्रेहैसिंव बीमें की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश पूर्व)

vii) वाहनों के रोड़ परमिट की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश पूर्व)

viii) वाहनों के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए फिटनेस प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश पूर्व)

ix) निविदाकर्ता एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अन्तर्गत पंजिकृत हो तो परिशिष्ठ–(य) के अनुसार घोषणा।

x) पी.एफ. खाता नम्बर की फोटो प्रति या शपथ पत्र परिशिष्ठ–(र) प्रस्तुत करना होगा।

xi) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न परिशिष्ठ संलग्न किये हैः–

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.
Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications.
Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process and Form No.1
Annexure D: Additional Conditions of Contract.

नोट– **Annexure B** में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है।

11.2 द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part/BOQ)

- कार्य की दरें ऑन–लाईन भरनी हैं । निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध निविदा के BOQ फॉर्म में ही भरें ।

- द्वितीय भाग – कार्य की दरें ऑन–लाईन निविदा भरने का प्रोफॉर्मा परिशिष्ठ–(ल) के अनुसार है । निविदाकर्ता इस परिशिष्ठ BOQ को वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेगा । किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सैम्पल दर प्रस्ताव फोरमेट (जोकि मात्र निविदाकर्ता की जानकारी हेतु संलग्न किया गया है) में दर इंगित करना निषेध है, इस स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

- निविदाकर्ता कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें, ऐसे प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी भाग में इंगित करता है तो इस अवस्था में इस निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

- प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा । सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जाएगा ।

12.0 निविदाओं का मूल्यांकन एवं कार्य आदेश :

12.1 सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । उचित दर पाये जाने पर न्यूनतम दर प्रस्ताव को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा। यदि न्यूनतम दर प्रस्ताव स्वीकार्य नही हो तो कम्पनी द्वारा इस निविदा प्रपत्र के क्लॉज 13.0 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है ।

12.2 ऐसे निविदाकार को कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश को अपनी स्वीकृति लिखित में देनी होगी।

12.3 कार्य आदेश के जारी होने या निर्धारित तिथि से कार्यारम्भ करना होगा । बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी.डी. के रूप में कार्य आदेश की स्वीकृति के पश्चात तीस (30) दिन के अन्दर जमा करानी होगी ।

12.4 सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यादेश की स्वीकृति के पश्चात तीस (30) दिन में कम्पनी के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होगें, जोकि इस निविदा की शर्तो, स्वीकृत दरों आदि पर आधारित होगा ।

12.5 सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी होने के पश्चात संविदाकार/संविदाकर्ता माना जावेगा ।

12.6 संविदाकार द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही कम्पनी द्वारा संविदाकर्ता के बिलों का भुगतान किया जायेगा । संविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध हेतु अपेक्षित मूल्य का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा तथा कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने होंगे ।

12.7 कार्य को निर्धारित अवधि में शुरू नहीं कर पाने की दशा में कम्पनी द्वारा वार्षिक अनुबन्ध राशि का 0.5% राशि का जुर्माना साप्ताहिक लिया जायेगा यदि ये जुर्माना राशि 2% से ऊपर चली गयी तब कम्पनी स्वविवेक से निविदा की शर्तों के अनुसार कार्यादेशों को निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर सकती है ।

12.8 उपरोक्त अनुबन्धित वाहन के रोड़ टैक्स, बीमा इत्यादि आवश्यक दस्तावेज कम्पनी कार्यालय में जमा न कराने पर कम्पनी रूपये 5000/– रूपये प्रतिमाह पेनल्टी वाहन मालिक/ठेकेदार से वसूलेगी । वाहन लगाने के दो महिने पश्चात भी उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत न होने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा ।

13.0 नेगोशियेशन :

13.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L_1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है । न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदा कर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है ।

13.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा।

13.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमे की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

14.0 **TAXES/GST**

i) निविदाकर्ता को प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा, अन्य सभी प्रकार के कर तथा ड्यूटी शामिल करनी होगी जो की निविदा की अंतिम तिथि तक लागू हो । प्रस्तुत दरें कार्य अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी एवं निविदा में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी ।

ii) वस्तु एवं सेवा कर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी । इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML को मिले यह सुनिश्चित करना भी कांट्रेक्टर का कार्य होगा ।

iii) यदि किसी कारणवश RSMML को क्रेडिट नहीं मिलता है तो कम्पनी कांट्रेक्टर को देय बिल/सिक्योरिटी डिपाजिट में से यह क्रेडिट राशि कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी ।

iv) कार्य के लिए देय भुगतान के GST return भरने में हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) के कारण पेनेल्टी लगने की परिस्थिती में देय राशि का भुगतान कांट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कम्पनी यह राशि कांट्रेक्टर को देय राशि में से कटौती/समायोजित कर सकती है ।

v) निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के डयूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोडकर भरनी होगी । इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है।

vi) अगर निविदा भरने के बाद कर एवं डयूटी बढती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं डयूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं डयूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबन्धकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे । कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है ।

15.0 **बिलों का भुगतान :**

15.1 संविदाकार को बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।

15.2 महीने का कार्य पूर्ण होने पर संविदाकार अगले माह के प्रथम सप्ताह में दो या अधिकतम 7 तारीख तक बिल दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

15.3 यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉग बुक की फोटो प्रति बिल के साथ कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।

15.4 साधारणतः मासिक बिल का भुगतान वैधानिक कटौतियाँ करने के बाद एवं बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर अकाउन्ट–पेयी चैक के द्वारा कर दिया जाएगा ।

15.5 प्राकृतिक आपदा अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वाहनों (टैक्सीयों) का उपयोग नहीं होने पर, ऐसी अवधि का कोई भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति या अन्य किसी प्रकार के दावे की राशि कम्पनी द्वारा देय नही होंगी

15.6 निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा ।

16.0 **वाहनों का उपयोग :**

16.1 एक (01) बोलेरो या समकक्ष वाहन जो कि 24 घंटे खदान क्षेत्र में रहेगा जो कि खदान क्षेत्र में अधिकारियों / कर्मचारियों के निरिक्षण तथा परिवहन के लिये उपयोग में लिया जायेगा।

16.2 एक (01) बोलेरो या समकक्ष वाहन जो खान प्रबन्धक तथा जनरल शिफ्ट के अधिकारियों के परिवहन तथा उपयोग के लिये किया जायेगा, जिसमें अधिकारियों को बाड़मेर से खदान ले जाने तथा पुनः बाड़मेर लाने के लिये उपयोग किया जायेगा । इस वाहन की कार्य अवधि 12 घंटे रहेगी ।

16.3 एक (01) बोलेरो या समकक्ष वाहन जो कि बाड़मेर कार्यालय में इकाई प्रमुख द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा एवं बाड़मेर कार्यालय के अन्य कार्यों के सम्पादन के लिये वाहन को उपयोग में लिया जायेगा। इकाई प्रमुख द्वारा इस वाहन का उपयोग गिरल एवं सोनरी खदानों के निरीक्षण हेतु भी उपयोग किया जायेगा । इस वाहन की कार्य अवधि 12 घंटे रहेगी एवं इकाई प्रमुख के निर्देशानुसार रहेगी।

16.4 उपरोक्त तीनों वाहनों के 12,000 किलोमीटर प्रतिमाह संयुक्त रूप से रहेंगे जिसमें वाहन को बाड़मेर कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार इकाई प्रमुख, बाड़मेर के निर्देशानुसार गिरल एवं सोनड़ी खदान अथवा कम्पनी के कार्य से कहीं भी जैसे बाड़मेर अथवा बाड़मेर से बाहर उपयोग में लिया जा सकता है ।

16.5 जिस वाहन की कार्य अवधि 12 घंटे के अतिरिक्त समय के लिये होगी, उपरोक्त वाहन को रोके जाने पर रूपये तीस (30/–) प्रतिघंटा, अधिकतम तीन घंटे अतिरिक्त देय होगा। बाड़मेर एवं खान क्षेत्र के अलावा वाहन का विश्राम, रात्रि 11.00 बजे के पश्चात् यदि किसी स्थान पर करना आवश्यक हो तो, रात्रि विश्राम भत्ता रूपये 100/– प्रति रात्रि की दर से देय होगा, इस स्थिति में रूपये 30/– प्रतिघंटा की राशि देय नहीं होगी।

16.6 शिफ्ट कार्य में प्रयुक्त वाहन को रात्री विश्राम भत्ता देय नहीं होगा ।

16.7 उपरोक्त तीनों वाहनों के उपयोग में आवश्यकतानुसार कमी व वृद्धि (परिवर्तन) भी किया जा सकेगा। इस परिवर्तन की सूचना ईकाई प्रमुख द्वारा सामान्यतः दो दिन पूर्व दी जाएगी। अपरिहार्य कारणों से यह परिवर्तन तुरन्त प्रभाव से भी लागू हो सकता है ।

17.0 **डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर :**

17.1 वृद्धि अथवा कमी (एसकेलेशन अथवा डिएसकेलेशन) की गणना करने के लिए डीजल की मूल दर निविदा प्रकाशन की दिनांक 18.01.2023 को लागू दर के आधार पर उस माह बाड़मेर जिले में I.O.C.L./BPCL/HPCL की खुदरा दर रूपये 95.34/- लागू होगी । इस हेतु डीजल की दर प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को प्रचलित दर मान्य होगी, एवं प्रत्येक माह के बिल के साथ I.O.C.L./BPCL/HPCL. का दर प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा ।

17.2 डीजल की दरों में पाँच (05) पैसे प्रतिलीटर तक की घटत–बढ़त का कोई प्रभाव नहीं दिया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 15 तारीख को प्रचलित दर लागू रहेगी ।

17.3 <u>बोलेरो या समकक्ष वाहन–(07–सीटर टैक्सी) के अतिरिक्त मासिक किलोमीटर के संबंध में</u> :

$$\frac{\text{(डीजल की वर्तमान दर–निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के समय की डीजल दर) X अतिरिक्त किलोमीटर (12,000 कि.मी. तक/वास्तविक चालित किलोमीटर तक)}}{\text{15 कि.मी. प्रति लीटर}}$$

17.4 उपरोक्त घटत बढ़त केवल डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर ही उपर्युक्तानुसार लागू होगी । किसी अन्य सामग्री जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑयल एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की दरों में होने वाली घटत बढ़त का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

17.5 कार्य आदेश जारी होने पर संविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर बाड़मेर में डीजल की प्रचलित दर, जोकि डीजल रिटेल आउट–लेट के द्वारा जारी किया गया हो को इकाई प्रमुख, आरएसएमएमएल, बाड़मेर से प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

18.0 **वाहनों पर नियोजित चालक व हेल्पर :**

18.1 वाहन चालक के पास ड्यूटी के दौरान परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया अधिकृत वाहन चलाने का लाइसेंस (कॉमर्शियल), टोकन तथा वाहन के संपूर्ण प्रपत्र होने आवश्यक हैं ।

18.2 सामान्यतः वाहनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु चालक में परिवर्तन करने पर उसकी संपूर्ण पूर्व सूचना प्रबन्धन को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ठ–अ में देनी होगी ।

18.3 पारी के अंत में/दैनिक कार्य पूर्ण होने पर लॉग बुक में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन चालक की होगी तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लॉग बुक की जॉच करने के लिए मांगने पर वाहन चालक को लॉग बुक प्रस्तुत करनी होगी ।

18.4 कम्पनी की जिम्मेदारी केवल लॉग बुक में सत्यापित यात्राओं के भुगतान की रहेगी । यात्रा विवरण की वे प्रविष्टियाँ जिन का सत्यापन कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, उनका भुगतान करने की कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी ।

18.5 कोई भी वाहन चालक ड्यूटी के दौरान शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किए हुए पाया जाने पर उसे वाहन का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में अन्य वैकल्पिक व्यवस्था संविदाकार की जोखिम व लागत पर ही की जा सकेगी व इसका संपूर्ण भुगतान संविदाकार के मासिक बिलों में से कटौती करके किया जाएगा ।

18.6 तीनों वाहनों के चालक सदैव वाहन को ठीक तरह से चलायेंगे और किसी भी तरह के वाद–विवाद अथवा दुर्घटना से बचाव करेगें । यात्रा के दौरान वाहन चालक या हेल्पर की गलती से या अन्य किसी कारण से यदि उस पर कोई दंड किसी राजकीय विभाग द्वारा लगाया जाता है तो उसका भुगतान संविदाकार को करना होगा तथा ऐसी स्थिति में कर्मचारियों व अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था से गंतव्य स्थान पर यथा समय पहुँचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी ।

18.7 वाहनों पर लगाए गए कर्मचारियों का वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान संविदाकार द्वारा देय होगा । यदि संविदाकार अपने कर्मचारी का भुगतान प्रत्येक माह की सात (07) तारीख तक नहीं करता है तो कम्पनी को अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता के मासिक बिलों में से कटौती करके वाहन पर लगाए गए कर्मचारी को देय मासिक वेतन का भुगतान कर देवें ।

18.8 वाहनों पर लगाए गए कर्मचारियों का व्यवहार अथवा कार्य उचित नहीं पाने पर संविदाकार को ऐसे कर्मचारियों को तुरन्त बदलना होगा ।

18.9 चालक के पास मोबाइल चालू हालत में हमेशा होना चाहिये तथा उसे हिंदी पढ़ने लिखने का ज्ञान होना आवश्यक है वाहन चालक एवं मालिक को कम्पनी के वाहन संचालन संबंधित सभी निर्देशो की पूर्णरूप से पालना करनी होगी । वाहन चालक संविदा समयावधि में वाहन का उपयोग किसी भी निजी अथवा अन्य कार्यो के लिए नहीं करेगा और कानून विरूद्ध कार्य में परिचालन नहीं करेगा ।

18.10 संविदाकार वाहन चालक द्वारा निविदा की शर्तों के उल्लघंन पर रूपये 2000/– प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए बाध्य होगा जोकि अनुबन्ध मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

18.11 वाहन पर कार्य करने वाले चालक एवं परिचालक का पुलिस द्वारा सत्यापन करवा कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

19.0 **बोलेरो या समकक्ष वाहन (07–सीटर टैक्सीयों) के परिचालन के संदर्भ में :**

19.1 तीनों बोलेरो या समकक्ष वाहन (07–सीटर –ए.सी. डीजल टैक्सी परमीट) **वर्ष 2021 या उसके बाद के मॉडल की होना आवश्यक** हैं ।

19.2 उपरोक्त तीनों अनुबन्धित वाहन मोटर टैक्सी वाणिज्यिक परमिट की होनी चाहिए । यदि अनुबन्धित वाहन को बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो जिस वाहन को बदला जा रहा है, उसी मॉडल एवं वर्ष का वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी; वह वाहन भी रोड़/रूट परमिट का होना आवश्यक है । परमिट की एक सत्यापित/फोटो प्रति ठेकेदार को कम्पनी में जमा करवानी आवश्यक होगी ।

19.3 ठेकेदार को उपरोक्त अनुबन्धित वाहनों (तीनों टैक्सीयों) के साथ हर समय काम में आने वाले औजार, स्टेपनी एवं आवश्यक स्पेयर्स रखने आवश्यक होंगे । कम्पनी के यान्त्रिक अभियंता/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर इनका निरीक्षण किया जा सकेगा ।

19.4 उपरोक्त अनुबन्धित तीनों वाहनों पर पूर्ण रूप से सीट कवर, पर्दे इत्यादि सही हालत में लगे होने अनिवार्य है। इनके समय समय पर रखरखाव व व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी निविदाकर्ता की होगी ।

19.5 किसी भी वाहन के रखरखाव/दुरूस्ती करवाने की दशा में उसके स्थान पर संविदाकार को उसी प्रकार की वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में प्रबन्धन को समय से पूर्व लिखित में अवगत कराना होगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो ।

19.6 यदि किसी भी वाहन को लम्बे समय के लिए मरम्मत के लिए ले जाना है तो निविदाकर्ता को इसकी पूर्व अनुमति प्रबन्धन से लिखित रूप में लेनी होगी तथा इस दौरान सुचारू वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। यदि संविदाकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है या वाहन उपलब्ध नही करवाता है जिसके कारण कम्पनी के नियमित कार्य प्रभावित होता है, तो कम्पनी संविदाकार की जोखिम व लागत (Risk & Cost) पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगी व इसका समायोजन संविदाकार के मासिक बिलों से किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रबन्धन 07–सीटर बोलेरो या समकक्ष वाहन वास्ते रूपये 3000/–प्रति दिन प्रति वाहन तक पेनल्टी वसूल कर सकेगा ।

19.7 समय की पाबंदी इस संविदा का मुख्य मर्म है। अतः, समय पर वाहन के नही पहुँचने अथवा संविदाकार की लापरवाही से उसकी सेवायें उपलब्ध नहीं होने पर प्रबंधन निम्नानुसार पेनल्टी लगाने के लिए स्वतंत्र होगा :–

अ	वाहन के निर्धारित समय से पंद्रह (15) मिनट देर से आने पर	रू.**75**/–प्रति बार देर से आने पर
ब	वाहन के निर्धारित समय से आधा घंटा देर से आने पर	रू.**125**/–प्रति बार देर से आने पर
स	यदि वाहन आधे घंटे से अधिक देरी से आता है तो उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा ।	
द	अगर वाहन आता ही नही है या कार्यावधि के दौरान खराब हो जाता है तो 1 घंटे पश्चात्, संविदाकार की रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य वाहन को कम्पनी द्वारा लगाया जाएगा, यह अतिरिक्त देय राशि संविदाकार के बिलों से काटी जायेगी ।	

19.8 संविदाकार को अनुबन्धित वाहनों के लिए लॉग बुक सही हालत में रखनी होगी ।

19.9 उपरोक्त अनुबन्धित तीनों वाहनों को दुरूस्त रखना एवं सही समय पर उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी ।

19.10 उपरोक्त अनुबन्धित तीनों वाहनों का उपयोग पूर्णतः आर.एस.एम.एम.लिमिटेड के लिए ही किया जाएगा । उक्त वाहन में केवल आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के कर्मचारी व अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे ।

19.11 उपरोक्त अनुबन्धित तीनों वाहनों को चलाने के संबंध में ईंधन, ऑयल, इत्यादि का खर्चा निविदाकर्ता को वहन करना होगा । वाहन के साथ में प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बाक्स (First Aid Box) आवश्यक औषधियों सहित संविदाकर्ता को रखना अनिवार्य होगा ।

19.12 जिला प्रशासन द्वारा चुनावों या अन्य कार्यों में उपरोक्त वाहनों की कोई मांग होने पर डीजल संबंधी भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जावेगा । कम्पनी कोई भुगतान नही करेगी तथा कम्पनी के लिए वाहनों की वैकल्पिक व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी तथा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर ठेकेदार की लागत व जोखिम (cost & risk)पर विभाग द्वारा व्यवस्था की जायेगी ।

20.0 **स्थानीय कार्यालय :**

संविदाकार को अपना स्थानीय कार्यालय बाड़मेर में खोलना होगा तथा वहाँ पर किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी जो कि संविदाकार की तरफ से निर्णय लेने में सक्षम हो । ऐसे कार्यालय व नियुक्त किये गए व्यक्ति की जानकारी संविदाकार को कंपनी में लिखित रूप से प्रस्तुत की जाना आवश्यक है तथा नियुक्त व्यक्ति को सामान्यतः कम्पनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करना आवश्यक है ।

21.0 **संविदा की समाप्ति :**

21.1 कार्य आदेश जारी होने की निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ न करने की स्थिति में कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है तथा बयाना/धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।

21.2 यदि संविदाकार की सेवायें संतोषजनक नहीं है अथवा वह वाहन सात (07) दिन तक लगातार ड्यूटी हेतु उपलब्ध नहीं कराता है तो प्रबन्धन बिना कोई नोटिस दिए संविदा को समाप्त कर सकता है । इस प्रकार संविदा समाप्ति से यदि कंपनी को कोई हानि होती है व कम्पनी को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अतिरिक्त भुगतान करना पडता है तो भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार के किसी भी बकाया बिल अथवा धरोहर राशि में से इसका समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगा । उक्त राशि समुचित नहीं होने पर शेष राशि विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा वसूली जा सकेंगी।

22.0 **संविदाकार द्वारा अपील करना :**

यदि सविदाकर्ता, स्थानीय प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो Annexure-C के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी जोकि प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएम लि., मीरा मार्ग, उदयपुर व द्वितीय अपील अधिकारी खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर है के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन सलंग्न Form No.1 (see rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है ।

23.0 **न्याय क्षेत्र :**

इस संविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उस हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा ।

24.0 **विविध :**

24.1 संविदाकार कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952, बोनस संदाय अधिनियम 1965, उपदान संदाय अधिनियम 1972, मोटर यान

अधिनियम 1988, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, फेटल एक्सीडेन्ट एक्ट 1855, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ठेका श्रम (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) अधिनियम 1970 एवं अनुबन्धित कार्य पर लागू समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों, नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगा । इसमें उक्त अधिनियमों/नियमों में समय समय पर किये गये संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिये भी संविदाकार पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगा । निर्धारित कार्य अवधि के दौरान वाहनों के किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सभी संबंधित जिम्मेदारी, जिसमें सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है, संविदाकार की होगी। आर.टी.पी.पी. एक्ट, 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स, 2013 एवं इनमें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संशोधन/स्पष्टिकरण इत्यादि भी लागू होंगे।

24.2 संविदा लागू होने की स्थिति में संविदाकार को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और संविदाकार द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा । संविदाकारऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ.ट्रस्ट में जमा कराएगा । कम्पनी के पी.एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का 1.15 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा । इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी । चूँकि संविदाकार के द्वारा चूक होने की स्थिति में कंपनी को वह राशि संविदाकार की ओर से जमा करानी होगी अतः संविदाकार उस राशि का कंपनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा । कंपनी संविदाकार की ओर से किये गये ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी । संविदाकार ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा । कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को संविदाकार उपलब्ध कराएगा । श्रमिकों से संबंधित समय समय पर समूह महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत कटौतियाँ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा ।

प्रबन्धक (यांत्रिकी–अनुबन्ध)

<u>निविदाकर्ता द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम .....यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

मोबाईल नं.....पता.....

परिशिष्ठ–अ

प्रारूप

निविदाकार द्वारा नियोजित वाहनों पर नियुक्त चालकों एवं हेल्परों का विवरण :

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. नामांकित व्यक्ति
7. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
8. यात्री वाहन का बैज नं.
9. ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी (भारी वाहन चालक)
10. शैक्षणिक योग्यता
11. कार्यानुभव एवं प्रमाण

निविदाकार के हस्ताक्षर–––––––––––––––
एवं दिनांक

परिशिष्ठ–ब

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट

निविदा संख्याः F.6(1)43/CC/2022/90 दिनांकः 18.01.2023

तकनीकी एवं वाणिज्यिक (**Part.I**)

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए ।

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1.	वाँछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि	
2.	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फैक्स/ ई–मेल इत्यादि	
3.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजियन संख्या की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
4.	निविदा प्रपत्र में क्लाज संख्या 3.0 के अनुसार वांछित शपथ पत्र	हाँ/नहीं
5.	एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये परिशिष्ठ–स	हाँ/नहीं
6.	अण्डर टेकिंग परिशिष्ट–ब के अनुसार	
7.	जी.एस.टी. नम्बर की प्रति	हाँ/नहीं
8.	पेन (PAN) नम्बर की प्रति	हाँ/नहीं
9.	यदि निविदा प्रपत्र को वेब–साईट से डाउन–लोड किया है तो निविदा प्रपत्र की शुल्क का विवरण	डीडी नं..... रू..... दिनांक .....

दिनांक : हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

संलग्न :–

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

परिशिष्ठ–स

प्रारूप

(रू.50/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है)

शपथ पत्र

मैं .....,पुत्र.....जाति, ... आयु .....निवासी गाँव/कस्वा/मोहल्ला, मकान नं0.....तहसील .....जिला ..... (प्रदेश)..... शपथपूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ कि :–

1. यह है कि मैसर्स ..... ने आरएसएमएम लिमिटेड में **गिरल लिग्नाईट परियोजना, बाडमेर के लिए तीन (03) बोलेरो 07 सीटर या समकक्ष वाहन (ए.सी. डीजल टैक्सी परमिट) चालक सहित किराये पर लेने हेतु** निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया है । जिसको मैंने भली भाँति पढ़ एवं समझ लिया है तथा निविदा प्रपत्र में जारी सभी शर्तें एवं नियम मुझे मान्य हैं ।
2. यह है कि मैसर्स ..... के पक्ष में यदि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड की द्वारा उक्त कार्य जारी किया जाता है तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य को सुचारू रूप से एवं बिना किसी अवरोध के करने का तैयार हूँ ।
3. यह है कि आरएसएमएम लिमिटेड के द्वारा मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य के लिए निविदा प्रपत्र में के अनुसार ही नियत समय पर वाहन उपलब्ध कराऊंगा एवं जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरे स्वयं की होगी ।
4. यह है कि आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा सलंग्न निविदा प्रपत्र में निर्दीष्ट कार्य मेरे पक्ष में जारी किये जाने पर मैं यदि विलम्ब करता हूँ या कार्य आरम्भ/क्रियान्वित करने में असफल रहता हूँ तो कम्पनी द्वारा कार्य आदेश निरस्त कर मेरे द्वारा जमा कराई गयी बयाना/धरोहर राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं नियमानुसार भविष्य में आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा जारी किसी प्रकार के निविदा में मुझे भाग लेने के पात्र नहीं माना जावे, जिसके लिए मैं भविष्य में किसी प्रकार का एतराज एवं उज्र नही करूँगा ।

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं उक्त ..... ईश्वर को साक्षी मानकर बयान करता हूँ कि इस शपथ पत्र के पैरा 1 लगायत 4 सत्य एवं सही हैं तथा संलग्न निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें पढ व समझ कर स्थिर बुद्धि, स्वस्थ चित्त की अवस्था में अपने हस्ताक्षरों से कुल किता मुद्रांक 50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया है, ताकि सनद् रहे और वक्त जरूरत काम आवे । इति

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

दिनांक–

स्थानः

गवाह 1. हस्ताक्षर.....
(गवाह का नाम व पूरा पता)

2. हस्ताक्षर .....
(गवाह का नाम व पूरा पता)

परिशिष्ठ–द

Undertaking

I/We …… in respect of submission of tender for the work of hiring of Three (03) Bolero 7-seater -AC Diesel Taxi for Giral Lignite Project, RSMM Ltd., Barmer, hereby declare as under:-

1. We confirm that we have not put any other deviations to the tender terms & conditions.

2. We have not been banned/ debarred/ suspended by the RSMM Ltd. in past for any reason/default.

3. No Legal case is pending with RSMML.

( )
Signature of tenderer

Name and seal of tenderer

Date:
Place:

परिशिष्ठ–य

(On the letter head of the tenderer)

DECLARATION

Declaration for Registration under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

1. Whether the tenderer is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006._____(Yes/No).

2. If yes, please furnish the declaration given below.

   We (Name of Tenderer_____), hereby declare that, our organization is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 as _____ (Micro, Small & Medium) Enterprises.

3. Enclose attested copy of registration certificate.

4. Whether the tenderer is also registered as S.S.I. units, if yes, enclose copy of registration certificate.

Signature of tenderer with stamp

Date:
Place:

परिशिष्ठ–र

(TO BE TYPED ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

I……..S/o Shri ……. aged …… year, resident of ……. on behalf of the tenderer i.e. M/s …….. …… hereby undertake oath and state as under:-

1) That I have submitted a tender for ……

2) That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.

3) That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, in respect of the employees engaged for the work, are not applicable on me/us (i.e. tenderer/contractor).

4) That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioner.

Deponent
(Authorised Signatory)

VERIFICATION

I/We, the above deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, that no part of it is wrong, that nothing material has been concealed, so help me God.

Deponent
(Authorised Signatory)

Annexure A

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……. for procurement of ……. in response to their Notice Inviting Bids No. ……. Dated …….. I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure C

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Grievance Redressal during Procurement Process.

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Principal Secretary
Mines Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary
Finance Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Form No.1
(see rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ……. of …….
Before the …….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : …….
   ……
   ……..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: …….
   ……
   ……..

   Place ……..
   Date ……..
   Appellant's Signature

Annexure D

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Service or Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

* * * * *

परिशिष्ठ–ल

कार्य की दरें ऑन–लाईन निविदा भरने का प्रोफार्मा

निविदाकर्ता इस परिशिष्ठ BOQ को वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेगा

(TO BE DOWNLOADED FROM EPROC WEBSITE, FILLED AND UPLOADED AS ONLINE PRICE BID BY BIDDER USING HIS DIGITAL SIGNATURE)

परिशिष्ठ – व

PROFORMA OF GUARANTEE BOND FOR SECURITY DEPOSIT

(To be issued by a Public Sector /ICICI/HDFC/AXIS Bank having its Branch office at Jaipur on the non-judicial stamp paper of value equal to @ 0.25% (zero point twenty five percent) of the total Security Deposit Amount subject to maximum of Rs. ..... or as applicable at the time of submission of BG.

B.G_____ Dated _____

Contact details of BG issuing Banker :

- Postal Address:-
- Telephone Nos.:-
- Fax No.:-
- e-mail Address:-
- Contact person e-mail:-

Contact details of Banker's local branch at Jaipur :

- Postal Address:-
- Telephone Nos.:-
- Fax No.:-
- e-mail Address:-
- Contact person e-mail:-

This Deed of Guarantee executed between _____ a Nationalised / Scheduled Bank, having its registered office at **(mention complete postal address with contact nos./mail address etc.)**_____ and its head office at **(mention complete postal address with contact nos./mail address etc.)**_____ and wherever the context so required include its successors and assignees (hereinafter called the Surety/Bank) AND Rajasthan State Mines and Minerals Limited, a company incorporated and registered under Indian companies Act, 1956, having its Registered Office at C-89-90, Lal Kothi Scheme, Janpath, Jaipur (Raj.) and Corporate Office at 4, Meera Marg, Udaipur (Raj.) and wherever its context so required includes its successors and assignees(hereinafter called 'the company').

Whereas the Company having agreed to exempt M/s. _____ a company/partnership firm _____ (address of registered/H.O.) where ever the context so require includes its successors and assignees (hereinafter called 'the Contractor/supplier/RC holder') from the demand under the terms and conditions of Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract no. _____ dated _____ issued in favour of the Contractor/supplier/RC holder, hereinafter called 'the said 'Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract' which expression shall also include any amendment, modification or variations thereof made in accordance with the provision thereof, of cash security deposit for the due fulfilment by the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract on production of unconditional and irrevocable Bank Guarantee for Rs. _____(Rs. _____) being equivalent to _____% of Contract value of Rs. _____.

Now this deed witnessed that in consideration of said bank having agreed on the request of the Contractor/supplier/RC holder to stand as surety for payment of Rs.

_____ as security deposit to the company subject to the following conditions.
We, _____(Bank) do hereby undertake to pay to the company as amount not exceeding Rs. _____ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the company by reason of any breach by the said contractor/supplier/RC holder of any of the terms and/or conditions contained in the Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract. The decision of the Company, as to any such breach having been committed and loss/damage suffered to shall be absolute and binding on us.

We,_____ (bank) do hereby undertake without any reference to the Contractor/supplier/RC holder or any other person and irrespective of the fact whether any dispute is pending between the Company and the Contractor/supplier/RC holder before any court or tribunal or Arbitrator relating thereto, to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, and/or protest merely on the very first demand from the Company stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by or would be caused to or suffered by the Company by reason of any breach by the said contractor/supplier/RC holder of any of the terms and conditions contained in the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract by reason of the said contractor's/supplier's/RC holder's failure to perform the covenants contained in said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract. Any such demand made on the bank shall be conclusive, absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. _____.

We, _____(bank) further agree that the guarantee herein above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the company under or by virtue of the contract have been fully paid and its claim/s satisfied or discharged or till the company certifies that the terms and the conditions of the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract have been fully and properly carried out by the said contractor/supplier/RC holder and accordingly discharges the guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the bank in writing on or before_____(scheduled completion date, plus six months or period which is required), the bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter unless otherwise further extended by the bank.

In order to give full effect to the guarantee herein contained the company shall be entitled to act as if, we(bank) are your principal debtor in respect of all your claims against the Contractor/supplier/RC holder hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of surety-ship and other rights, if any which are in any way inconsistent and/or contrary to the above or any other provision of this guarantee, the bank's guarantee to pay hereunder will not be determined or affected by your proceeding against the Contractor/supplier/RC holder and the bank will be liable to pay the said sum as and when demanded by you merely on first demand being made on the bank by you and even before any legal or other proceedings taken against the contractor/supplier/RC holder. Any letter of demand delivered at the bank's above branch/divisional office or Jaipur branch office

_____
_____(specify the name & address) under the signatures of the company's Financial Advisor/ Group General Manager/ General Manager or any of the Directors shall deemed to be sufficient demand under this guarantee.

We, _____(bank) further agree that the company shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract or to extend time of performance by the said Contractor/supplier/RC holder from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Company against the said Contractor/supplier/RC holder and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said contractor/supplier/RC holder or for any fore bearance act, or omissions on the part of the company or any indulgence of the Company to the said Contractor/supplier/RC holder or by any such matter or things whatsoever which under the law relating to the sureties would but for this provisions have effect of so relieving us.

This guarantee herein contained would come into force from the date of issue and would not be affected by any change in the constitution of the contractor/supplier/RC holder or ourselves or liquidation or winding up or dissolution or insolvency of the contractor/supplier/RC holder nor shall it be affected by any change in company's constitution or by any amalgamation or any absorption thereof or therewith but shall ensure for and be available to and enforceable by absorbing or amalgamated company or concern till the payment or amount not exceeding Rs. _____ is made by the Bank.

The guarantee will not be discharged or affected if the Company holds/obtain any other security/guarantee/promissory note from any person and/or the contractor/supplier/RC holder and this guarantee shall be in addition to any such guarantees.

We,_____(Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during this currency except with the previous consent of the company in writing.

The bank has power to issue this guarantee in favour of the Company and the undersigned has full powers to do so under power of Attorney dated _____ granted to him by the bank.

For the purpose of enforcing legal rights in respect of this guarantee Jaipur courts in the state of Rajasthan alone shall have jurisdiction.

IN WITNESSETH I, HEREBY _____ SON OF _____(designation)_____(branch) constituted attorney of the said bank have set my signatures and bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the state of _____executed at _____ this the _____ day of _____2023.

- - - - - - - - -